संख्याः–474(1)/XIV–1/2014–5(1)/2014

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक २८ मई, 2014

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत "सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण" की अवशेष मदों हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या–24/लेखा–बजट/2014–15 दिनांक 01 अप्रैल, 2014, पत्र संख्या–309/लेखा–बजट/2014–15 दिनांक 16 अप्रैल, 2014, शासन के पत्र संख्या–474/XIV–1/2014–5(1)/2014 दिनांक 29 अप्रैल, 2014 तथा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में सहकारिता विभाग के आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत प्रस्तर–2 में उल्लिखित "सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण" की अवशेष मदों में कुल ₹44,50,000/–(रूपये चवालीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में ठीक पूर्व माह की सूचना बी0एम0–5 प्रपत्र पर आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा बी0एम013 प्रपत्र पर उक्त सूचना 10 तारीख तक वित्त विभाग एवं शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय तथा बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को समय से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि निर्धारित मद में ही व्यय की जायेगी एवं व्यय करते समय वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर जारी शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उक्त वित्तीय स्वीकृति के व्यय के नियमित अनुश्रवण की व्यवस्था निबन्धक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल वित्त विभाग एवं शासन के संज्ञान में लाया जायेगा। वचनबद्ध तथा अवचनबद्ध मदों के व्यय के संबंध में वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र दिनांक 18 मार्च, 2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. वचनबद्ध मदों का व्यय मासिक आधार पर किस्तों में किया जायेगा। आउटसोर्सिंग से नियुक्त कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत पदों की अधिकतम सीमान्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा जो भी कम हो, के अन्तर्गत रहेगी।

7. अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट कार्ययोजना बना ली जायेगी और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में बचत सुनिश्चित की जायेगी।

8. आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से फॉट कर फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करेंगे तथा सम्भावित व्यय की फेजिंग कर उसकी सूचना शासन तथा वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2– उक्त स्वीकृति के अधीन व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–18 के लेखाशीर्षक 2425–सहकारिता आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–सामान्य अधिष्ठान एवं अधीक्षण की निम्नलिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	मानक मद का नाम	स्वीकृत धनराशि
02	मजदूरी	500
04	यात्रा व्यय	1600
07	मानदेय	50
15	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1000
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	800
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	500
	योग	4450

(रूपये चवालीस लाख पचास हजार मात्र)

3– ये आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या– 05(NP)/XXVII(4)/2014 दिनांक 12 मई, 2014 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।

क्रमशः

संख्याः– 474 (1)/XIV–1/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
4. बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
उप सचिव।